

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

संतोष कुमार मल्ल,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 03-05-2021

विषय:- सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या-1552 दिनांक 09.11.2015 एवं 1520 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/निगमों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई० टी० सहायक/आई० टी० मैनेजर/स्टेनोग्राफर/प्रोग्रामर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल कर्मी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के उपरांत आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति से संबंधित जाँच-पत्रक के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/निगमों में संविदा के आधार पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/आई०टी० मैनेजर/स्टेनोग्राफर/प्रोग्रामर/आई०टी० ब्यॉय/आई०टी० गर्ल कर्मी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के उपरांत इस विभाग के संकल्प संख्या-1552 दिनांक 09.11.2015 एवं 1520 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में मृतक कर्मी के आश्रित/आश्रिता को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों/कार्यालयों से अनुग्रह अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं; परन्तु प्रस्ताव के साथ अपेक्षित अभिलेख/कागजात संलग्न नहीं होते, फलतः इसकी स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव के साथ एक विहित जाँच पत्रक संलग्न किया जाय।

अतएव जाँच-पत्रक का प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुग्रह अनुदान के प्रस्ताव के साथ पूर्ण प्रविष्टि एवं अभिलेखों के साथ हस्ताक्षरित जाँच-पत्रक भी भेजा जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(संतोष कुमार मल्ल)
सरकार के सचिव

सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या-1552 दिनांक 09.11.2015 एवं 1520 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के उपरांत आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति से संबंधित जाँच-पत्रक।

(मृतक के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

1.	मृतक कर्मी का नाम एवं पदनाम	:-	
2.	कार्यालय का नाम	:-	
3.	मृत्यु की तिथि (सक्षम प्राधिकार का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न की जाए)	:-	
4.	मृतक के नियोजन एवं मृत्यु के ठीक पूर्व उनके कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र।	:-	
5.	मृतक के फोटोयुक्त पहचान-पत्र (यथा-निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी)	:-	
6.	आश्रित का नाम एवं पता (पहचान पत्र, जिससे मृतक के साथ संबंध स्थापित हो, संलग्न की जाय। यथा-निर्वाचन पहचान पत्र, आधार स्वअभिप्रमाणित)	:-	
7.	आश्रित का बैंक खाता, IFS Code सहित (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति अथवा Cancelled Cheque संलग्न की जाए)	:-	
8.	आश्रित के PAN Card का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है या नहीं	:-	
9.	आश्रित का मोबाईल संख्या	:-	

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर
मुहर सहित